

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

पालक

या

सैडूराम / मांगीलाल

Ti → 114/22

निर्देश दिवस

दिनांक 31/07/23

आज्ञा विस्तृत रूप में

31/07/23

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी अनुपस्थित  
जार्जी सैडूराम की दिनांक 19-01-2016 की  
फ़ील्ड होने पर वकील जार्जी द्वारा  
25-01-2017 को जामु जर्नल पर पेश  
किया गया। सर्व में किन्तु पक्षकार चंदा  
लाल, रघुवीर सिंह, रतन लाल, रामनिशोर  
उपस्थित हुए थे, लेकिन इनकी ओर से कोई  
कोई अतिव्यय उपस्थित नहीं हुआ, न ही पुनः  
पक्षकार उपस्थित हुए। वकील जार्जी को  
20-04-21 की आदेशिका अनुसार जर्नल पर  
जामु जवाब बहक हेतु अवसर दिए गए।  
वकील जार्जी अपनी समय से अनुपस्थित रहे  
हैं। वकील जार्जी/वादी को बार-बार  
रविकुंभ न्यायालय समय में न्यायालय  
समय समाप्त तक जवाबें लगवाई गई।  
बावजूद वकील जार्जी/जार्जी ने कार्रवाई  
की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है  
में वकील जार्जी का जर्नल पर अदम हाजरी  
जयपुर जैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली दर्ज रजिस्टर से मुम होकर फ़ैसल  
शुमार होकर दायित्व दफ़्तर है।

निर्णय आज दिनांक 31/07/23 को  
शुभ न्यायालय में सुनाया गया।

*Narain*  
सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम